दिनांक 26.02.2024 को मै0 जे.जी.एन. शुगर एडं बायोफ्यूल्स प्रा0 लि0, सितारगंज, ग्राम–सरकड़ा एवं नकटपुरा, तहसील–सितारगंज, उधमसिंहनगर की वर्तमान गन्ना पैराई में विस्तारण (2500 टी.सी.डी. से 10000 टी.सी.डी.) एवं 22 मेगावाट सह ऊर्जा उत्पादन तथा मोलासेस/केन जूस सिरप/अनाज पर आधारित नवीन 400 के.एल.डी. क्षमता की आसवानी इकाई एवं 9.0 मेगावाट क्षमता की सह ऊर्जा उत्पादन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 जे.जी.एन. शुगर एडं बायोफ्यूल्स प्रा0 लि0, सितारगंज, ग्राम–सरकड़ा एवं नकटपुरा, तहसील– सितारगंज, उधमसिंहनगर द्वारा उपरोक्तानुसार क्षमता विस्तार एवं नवीन आसवनी ईकाई तथा सह ऊर्जा उत्पादनों हेतु आवेदित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 के अन्तर्गत, पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व, लोक सुनवाई की अपेक्षा रखने वाले उद्योगों की श्रेणी में आच्छादित है।

अतःउक्त लोक सुनवाई किये जाने का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्राप्त हुआ था। इसी कम में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लोक सुनवाई आयोजित किये जाने एवं उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में टीका/टिप्पणी, सुझाव, आपत्ति दर्ज कराये जाने हेतु दैनिक समाचार पत्रों ''अमर उजाला''(उत्तराखण्ड संस्करण) व ''टाईम्स ऑफ इण्डिया'' (दिल्ली संस्करण) में दिनांक 25.01.2024 के अंकों में जन सुनवाई की सूचना प्रकाशित कराई गयी थी। उक्त जन सुनवाई हेतु जिलाधिकारी महोदय, उधमसिंहनगर के आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा लोक सुनवाई की अध्यक्षता किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी, किच्छा, उधमसिंनगर को नामित किया गया था।

इसी कम में दिनांक 26.02.2024 को प्रातः 11:00 बजे उद्योग परिसर में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार रही (संलग्नक–1)।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पैनल अध्यक्ष की अनुमति से जन समुदाय का स्वागत करते हुए जन सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से आग्रह किया गया कि, वे पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तुतीकरण के माध्यम से परियोजना से सम्बन्धित प्रस्ताव को ध्यान पूर्वक सुने तथा इसके पश्चात परियोजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की टीका–टिप्पणी, आपत्ति, सुझाव आदि लिखित अथवा मौखिक रूप से पैनल को अवगत करायें।

इसके पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0 मनोज गर्ग से विस्तार पूर्वक प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किये जाने को कहा गया। इसी अनुक्रम में परामर्शी संस्था एनवायरनमेंट एण्ड टेक्निकल रिसर्च सेंटर, लखनऊ द्वारा बनाई गयी ई.आई.ए. रिपोर्ट आदि का विस्तारपूर्वक प्रस्तुतीकरण दिया गया।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर, उधमसिंहनगर द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में सभा मे उपस्थित जन समुदाय को उनके सूझाव एवं आपत्तियां आदि लिखित अथवा मौखिक रूप से आमंत्रित किये जाने हेतु कहा गया तथा जन समुदाय द्वारा निम्नानुसार सूझाव एवं आपत्तियां दर्ज की गयी।

1. **डा0 नरेन्द्र पाल सिंह, ग्राम–तिरयापुल, सितारगंज–** उनके द्वारा पृक्षा की गयी कि उद्योग में जो चिमनी की स्थापना की जायेगी उससे निकलने वाले धुंए व राख के निस्तारण हेतु क्या व्यवस्था है ? उनके द्वारा कहा गया कि, उद्योग में विस्तारीकरण के पश्चात आस–पास ट्रक, गाड़ी, ढेले वाले आदि भी बढेंगे, जिससे फैक्ट्री के आस–पास सड़कों मे प्लास्टिक आदि की मात्रा बढेगी। उनके द्वारा इस पर भी विचार किये जाने हेतु आग्रह किया गया तथा इसी कम में उनके द्वारा उद्योग प्रबन्धन से आग्रह किया गया कि वे छोटे किसानों को कृषि यंत्र आदि सब्सिडी पर उपलब्ध करायें।

   इस पर पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0 मनोज गर्ग द्वारा कहा गया कि, उद्योग में प्रस्तावित व्यावलरों में संलग्न चिमनी की ऊँचाई 76 व 80 मीटर है तथा उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी नियंत्रण हेतु अत्याधुनिक ई.एस.पी. स्थापित किया जायेगा। जिससे धुंए आदि की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। उनके द्वारा प्लास्टिक आदि के निस्तारण हेतु उचित व्यवस्था किये जाने की बात कही गयी। इसी कम में उद्योग निदेशक श्री नवीन झांजी द्वारा भी कृषकों को हर सम्भव मदद दिये जाने का आश्वासन दिया गया।

2. **श्री रिषपाल सिंह, ग्राम–सरकड़ा, सितारगंज**–इनके द्वारा पृक्षा की गयी कि उद्योग विस्तारण से स्थानीय लोगों एवं किसानों को क्या फायदा होगा ?

   इस पर पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा कहा गया कि, उद्योग विस्तारीकण के पश्चात 10,000 टन/दिन गन्ने की आवश्यकता होगी, जो कि स्थानीय किसानों से ही कय की जायेगी, जिससे स्थानीय किसानों की आय में वृद्वि होगी।

   इसके अतिरिक्त उद्योग निदेशक श्री नवीन झांजी द्वारा बताया गया कि गन्ने के अतिरिक्त मक्का, चावल की जरूरत होगी, उसे भी किसानों से ही कय किया जायेगा।

3. **श्री राजपाल सिंह, ग्राम–सुनपरा, मझोला, सितारगंज–** इनके द्वारा मांग की गयी कि उद्योग द्वारा गन्ने का वेस्ट काश्तकार को फ्री में मिलना चाहिए। उनके द्वारा मैली को फ्री में दिये जाने का अनुरोध किया गया व साथ ही किसानों से भी अनुरोध किया गया कि वे गन्ने के पत्तों आदि पर आग न लगायें तथा अनुरोध किया गया कि उक्त गन्ने के पत्तो आदि के निस्तारण हेतु कटाई किये जाने हेतु मशीनों की व्यवस्था करते हुए निस्तारण कराया जाये।

इस पर उद्योग निदेशक श्री नवीन झांजी द्वारा अवगत कराया गया कि मैली को काश्तकारों को ही दिया जायेगा। उसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है।

उद्योग के वैज्ञानिक सलाहकार डॉ0 सर्वजीत सिंह गौराया द्वारा भी अवगत कराया गया कि मैली को वैज्ञानिक तरीके से तैयार कर काश्तकारों को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. **श्री किरन तलवार, अशोका फार्म, सितारगंज** –इनके द्वारा गन्ने की पैदावार किये जाने के सम्बन्ध में अपना विस्तृत रूप से अपना अनुभव साझा किया गया तथा कहा गया कि सितारगंज क्षेत्र गन्ना उपज करने वाला क्षेत्र है। यहां पर बच्चा–बच्चा गन्ने की बुआई करना जानता है। उनके द्वारा लो–लैण्ड एरिया आदि को सम्मिलित करते हुए गन्ने की पैदावार बढायें जाने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि समय–समय पर उचित नशलों के बीज़ों को किसानों को उपलब्ध करायें जायें तथा इस हेतु किसानों को कलेण्डर भी उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया, जिससे आम किसान किस नस्ल की पैदावार को किस समय बोया जाये इससे भिज्ञ हो सके। इसी क्रम में उनके द्वारा कैचुंआ खाद तथा पारम्परिक खादों को उपयोग किये जाने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा टिस्यू कलचर से विकसित पौधों को भी कृषको को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। इसी क्रम में उनके द्वारा हर दो माह में एग्रीकल्चर जर्नल भी जारी करने की बात कही गयी। उनके द्वारा गन्ने के सम्बन्ध में हुए प्रयोगशाला अनुसंधान किसानों के खेतों तक पहुंचे, इस प्रकार की व्यवस्था किये जाने का भी अनुरोध किया गया तथा साथ ही मिट्टी की सैम्पलिंग आदि किये जाने हेतु स्थानीय कृषकों को भी भिज्ञ किये जाने का अनुरोध किया गया।

इस पर उद्योग के वैज्ञानिक सलाहकार डॉ0 सर्वजीत सिंह गौराया द्वारा अवगत कराया गया कि किसानों को प्रारम्भिक रूप में टिस्यू कल्चर आधारित 50–100 पौधे उपलब्ध कराये जायेगें तथा किसानों को कौन सी वैरायटी कब बोनी है, इस सम्बन्ध में भी कलैन्डर उपलब्ध कराये जायेंगे।

इसके अतिरिक्त उद्योग निदेशक श्री नवीन झांजी द्वारा श्री तलवार द्वारा दिये गये सुझावों पर अमल करने का आश्वासन दिया गया।

5. **श्री रणजोत सिंह, दडा फार्म, सितारगंज**–इनके द्वारा उद्योग में विस्तारीकण होने पर हर्ष व्यक्त किया गयां। इनके द्वारा किसानों को गन्ने का भुगतान समय से तथा उपयुक्त भुगतान किये जाने पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आने वाले समय में भी इसी प्रकार भुगतान किये जाने का आश्वासन मांगा गया।

इस पर उद्योग निदेशक श्री नवीन झांजी द्वारा सभी किसानों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा गया कि भुगतान समय से ही किया जायेगा तथा किसानों को खाद बीज भी उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जायेगा।

6. **श्री प्रभात कुमार सिंह, ग्राम–मझोला, सितारगंज–** इनके द्वारा पृक्षा की गयी कि चिमनी से निकलने वाले धुंए अथवा राख से नुकशान तो नहीं होगा ?

इस पर उद्योग निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग में प्रस्तावित व्यावलर में संलग्न चिमनी की ऊँचाई 76 व 80 मीटर है तथा उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी नियंत्रण हेतु अत्याधुनिक ई.एस.पी. स्थापित किया जायेगा। जिससे धुंए आदि की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। उनके द्वारा प्लास्टिक आदि के निस्तारण हेतु उचित व्यवस्था किये जाने की बात कही ग़यी।

7. **श्री अमरेन्द्र सिंह, ग्राम–प्रतापपुर, सितारगंज–** इनके द्वारा पानी की समस्या के बारे में पृक्षा की गयी एवं कहा गया कि क्या गन्दे पानी को बोर द्वारा भू–जल में डाला जायेगा अथवा नही ?

इस पर पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि आसवनी ईकाई से किसी भी प्रकार का उत्प्रवाह न तो परिसर से बाहर निस्तारित किया जायेगा व न ही किसी बोर आदि मे डाला जायेगा। चीनी मिल से जनित होने वाले उतप्रवाह को शुद्विकृत कर सिंचाई आदि में प्रयोग किया जायेगा।

8. **श्री निर्मल सिंह, ग्राम–नकटपुरा, सितारगंज–** इनके द्वारा पूर्व में बन्द पडे उद्योग को पुनः संचालन किये जाने पर उद्योग समूह का धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं इनके द्वारा सी.एस.आर. के अन्तर्गत स्कूल के अतिरिक्त एक हॉस्पिटल को भी गोद लेने की बात कही, जिससे स्थानीय लोगो को उपचार मिल सके।

इस पर उद्योग निदेशक द्वारा कहा गया कि सी.एस.आर के अन्तर्गत चिकित्सा क्षेत्र में भी कार्य किया जायेगा।

9. **श्री आशीष अग्रवाल, खटीमा–** इनके द्वारा कहा गया कि मिट्टी की जांच हेतु जांच केन्द्र होना चाहिए। उनके द्वारा अगवत कराया गया कि मिट्टी के सैम्पल बाहर लैब में भेजे जाने पडते है, जिसकी रिपोर्ट समय से उपलब्ध नहीं हो पाती है।

इस पर उद्योग के कृषि वैज्ञानिक द्वारा बताया गया कि लैब बनाये जाने हेतु प्रस्ताव रखा गया है। मिट्टी की जांच हेतु लैब खोली जायेगी।

इसके पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य से पुनः आग्रह किया कि यदि किसी को कोई आपत्ति/सुझाव लिखित रूप में देनी हैं तो वे लिखित रूप से भी अपनी आपत्ति/सुझाव पैनल को दर्ज करा सकते हैं, जिसको कार्यवाही में सम्मिलित किया जायेगा।

इसके पश्चात पैनल अध्यक्ष द्वारा सभी का धन्यवाद व्यक्त किया गया। उनके द्वारा कहा कि उद्योग में विस्तारीकरण होने पर सभी स्थानीय जनमानस को लाभ होगा एवं विशेषकर कृषि आधारित उद्योग होने से किसानो को भी इस का लाभ होगा।

उनके द्वारा उद्योग समूह को शुभकामनायें देते हुए आशा की गयी कि वें उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण हेतु नवीन से नवीन तंकीनीक स्थापित एवं सचांलित करेंगें। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि सी.एस.आर. का प्रयोग वायु व मृदा संरक्षण में भी होना चाहिए।

अन्त में आये हुए जन समुदाय द्वारा अपना हाथ उठाकर प्रस्तावित स्थापना का स्वागत करते हुए हर्ष व्यक्त किया गया।

पैनल अध्यक्ष महोदय की अनुमति से तथा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई की कार्यवाही का समापन किया गया। लोक सनुवाई की प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग व फोटोग्राफी भी करायी गयी है, जो कि संलग्न है तथा लोक सुनवाई में किसी भी प्रकार का लिखित प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(नरेश गोस्वामी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर

(कौस्तुभ मिश्र)
उप जिलाधिकारी, किच्छा
उधमसिंहनगर।